श्रीमती रेणु कुमारी कार्यपालक दण्डा०, धनबाद Online Entry

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 598/2017 21-10-17 धारा 107 द.प्र.स.

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
8.4.17 TR-109/17	मो० समीम बनाम सुधीर प्रमाणिक गोविन्दपुर थाना अप्राथमिकी सं० 30/17 प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स० अ०नि०/अ०नि० गोविन्दपुर ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी गोविन्दपुर थाना एवं अ० निरी० गोविन्दपुर ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच जमीन संबंधी विवाद को लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यो से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 21.4.17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रू० का दो सम्प्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय। लेखापित एवं संशोधित अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	18/5/17 29/5/17 8/6/17 21/6/17 7.7.17 24/7/17 9/8/17 28/8/17 11/9/17 22/9/17 11/10/17 30/10/17 10/11/17 27/11/17 समाप्त

30/10/17 - प्रथम पक्ष की हाजरी है
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है
प्रथम पक्ष गवाह पेश करें
अगि. 10/11/17 को रखें।
30/10/17

[illegible]/11/17 - प्रथम पक्ष गवाह के रूप में हाजरी है
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है
द्वि० पक्ष को वारंट निर्गत करें
दि० 24/11/17 को रखें।
23
10/11/17
10/11/17

[illegible]/17 - प्रथम पक्ष की हाजरी है
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है वारंट निर्गत है
कालबाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही
न्यायहित एवं कार्यहित में समाप्त की जाती है
तथा वारंट वापस की जाती है।
24/11/17

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.04.08 16:01:02 +05:30
Location: 192.168.29.43

Scanned with OKEN Scanner